



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052025-263114
CG-DL-E-15052025-263114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2025/वैशाख 24, 1947

No. 2098]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2025/VAISAKHA 24, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2147(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3743 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर 2020 द्वारा एनएच-341 के भीमासर-अंजार-भुज (भुज बाईपास सहित)(किमी 0.000 से किमी 65.478)तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात “प्राधिकरण” कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 341 के किमी 0.000 से किमी 65.478 तक (किमी 54.680 से किमी 60.620 के बीच का भाग छोड़कर) (एनएच-41 के भीमासर जंक्शन से एयरपोर्ट जंक्शन तक) अंजार-भुज खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सङ्क खंड लंबाई 38.201 किमी (सारणी-2) और 9.290 किमी (0.929 किमी की लंबाई वाली, सारणी 4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए पर नीचे तालिका-1 के कॉलम (2) में

विनिर्दिष्ट दरों के 100% पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 20.800 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्गति और संग्रहीत किया जाएगा, तथा प्राधिकरण को उसके अधिकारियों या किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त शुल्क वसूलने के लिए प्राधिकृत करता है, अर्थात्:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धूरी वाले)	2.20
तीन धूरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधूरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धूरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धूरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गति और संग्रहीत शुल्क ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सङ्क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

सारणी - 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
1. गुजरात राज्य के कच्छ जिले के वर्षमेड़ी गांव में रा.रा.-341 के किमी 13+125 पर	17.706 [बाईपास की लंबाई (>10 करोड़ रु. लागत वाली) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%,
2. गुजरात राज्य के कच्छ जिले के कुक्मा गांव में रा.रा.-341 के किमी 49+803 पर	20.315 [बाईपास की लंबाई (>10 करोड़ रु. लागत वाली) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%,
कुल	38.201	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
1. गुजरात राज्य के कच्छ जिले का वर्षमेड़ी गांव में रा.रा.-341 के किमी 13+125 पर	अंजार बाईपास	डिजाइन किमी 18+150	डिजाइन किमी 26+320	8.170	146.23	चार या अधिक लेन के लिए, उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित

2. गुजरात राज्य के कच्छ जिले के कुक्मा गांव में रा.रा.-341 के किमी 49+803 पर	सापेडा बाईपास	डिज़ाइन किमी 29+120	डिज़ाइन किमी 31+620	2.500	45.50	आधार दरों का 150%
	रत्नाल बाईपास	डिज़ाइन किमी 32+880	डिज़ाइन किमी 39+430	6.550	118.94	
	कुक्मा बाईपास	डिज़ाइन किमी 49+990	डिज़ाइन किमी 53+570	3.580	65.01	
	कुल			20.800		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लम्बाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लम्बाई में अवसंरचनाओं की लम्बाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

सारणी - 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क देय है
1. गुजरात राज्य के रा.रा.-341 के कच्छ जिले का वर्षामेडी गांव में किमी 13+125 पर	0.561^	5.610	चार या अधिक लेन के लिए, उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2. गुजरात राज्य के रा.रा.-341 के कच्छ जिले के कुक्मा गांव में किमी 49+803 पर	0.368^^	3.680	चार या अधिक लेन के लिए, उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	0.929		

^संरचना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	कि.मी. 13+125 पर टोल प्लाज़ा के अंतर्गत संरचनाओं का विवरण		
	डिज़ाइन चेनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	किमी 05+688 से किमी 5+932	आरओबी	0.244
2	किमी 11+414 से किमी 11+514 तक	बड़ा पुल	0.100
3	किमी 13+755 से किमी 13+855	बड़ा पुल	0.100
4	किमी 23+262 से किमी 23+379	आरओबी	0.117
	कुल		0.561

क्रम सं.	कि.मी. 49+803 पर टोल प्लाज़ा के अंतर्गत संरचनाओं का विवरण		
	डिज़ाइन चेनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	किमी 48+573 से किमी 48+707	आरओबी	0.134
2	किमी 63+044 से किमी 63+278	आरओबी	0.234
	कुल		
		0.368	

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2024-25 के लिए 340/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी - 5		
देय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1571.74 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-गंधीधाम/एनएच-341/बीएबी/फीप्लाजा/13+125&49+803/ई-243306]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2025

S.O. 2147(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S. O. 3743 (E) dated 21st October 2020 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of NH-341 Bhimasar-

Anjar-Bhuj (including Bhuj Bypass) section from (Km 0.000 to Km. 65.478) to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 38.021 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 9.29 km (having length of 0.929 km, Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 20.800 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of four or more lane section of NH-341 from Bhimasar, Junction of NH-41 to Anjar-Bhuj upto Airport Junction, Km 0.000 to Km 65.478 (excluding portion between Km. 54.680 to Km. 60.620) of National Highway number 341 in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 13+125 of NH-341 at Varshamedi village of Kutch District in Gujarat State.	17.706 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 49+803 of NH-341 at Kukma Village of Kutch District in Gujarat State.	20.315 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	38.201 Km	

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza (s): -

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	

At Km 13+125 of NH-341 Varshamedi Village of Kutch District in Gujarat State	Anjar Bypass	Design km 18+150	Design km 26+320	8.170	146.23	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 49+803 of NH-341 at Kukma Village of Kutch District in Gujarat State.	Sapeda Bypass	Design km 29+120	Design km 31+620	2.500	45.50	
	Ratnal Bypass	Design km 32+880	Design km 39+430	6.550	118.94	
	Kukma Bypass	Design km 49+990	Design km 53+570	3.580	65.01	
Total			20.800			

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Km 13+125 of NH-341 Varshamedi Village of Kutch District in Gujarat State.	0.561^	5.61	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 49+803 of NH-341 at Kukma Village of Kutch District in Gujarat State	0.368^^	3.68	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	0.929		

[^]The details of the structure are as under: -

Sr. No.	Details of the structure under Toll Plaza at Km. 13+125		
	Design Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	Km 05+688 to Km 5+932	ROB	0.244
2	Km 11+414 to Km 11+514	MJB	0.100
3	Km 13+755 to Km 13+855	MJB	0.100
4	Km 23+262 to Km 23+379	ROB	0.117
Total			0.561

Sr. No.	Details of the structure under Toll Plaza at Km. 49+803		
	Design Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	Km 48+573 to Km 48+707	ROB	0.134
2	Km 63+044 to Km 63+278	ROB	0.234
Total			0.368

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 340 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of the amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1571.74 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. NHAI/PIU-Gandhidham/NH-341/BAB/FeePlaza/13+125&49+803/ E-243306]
KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.